

भाग-3
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वन भूमि शागिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नही
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दे।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिगत	आवेदक Reliance Jio Infocom Ltd Bhopal के Online प्रस्ताव FP/MP/Others/33956/2018 में वन मंडल अधिकारी दमोह के द्वारा प्रस्ताव के Online Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर वन मंडल दमोह के परिक्षेत्र सागौनी में RoW के अंतर्गत OFC laying हेतु 0.534 हेक्टेयर वनभूमि उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तों को मान्य करना होगा।

तिथि:-/...../10/2018
स्थान:- सागर


(विकास करण वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर